राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी 3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141-2222403, 2229314
ईमेल dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : भूमि/एफ7(ड)( )डीएलबी/2023/2567 दिनांक : 17.04.2023

आयुक्त,
नगर परिषद,
किशनगढ़।

विषय :– कच्ची बस्ती के मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग :– आपके पत्र क्रमांक नपकि/सामान्य/2023/2427 दिनांक 24.02.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कच्ची बस्तियों के सबध मे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है –

1. रिट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी के संबंध में नगर पालिका अधिनियम 2009 मे सशोधन कर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में नियमन की कार्यवाही जोनल प्लान स्वीकृत होने के पश्चात् ही की जा सकेगी। परन्तु यदि पूर्व में ही ले–आउट प्लान स्वीकृत है तो स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार बिना जोनल प्लान स्वीकृत के भी पट्टे दिये जा सकते हैं।

   यदि राजकीय भूमि अतिक्रमण से बची हुई है तो उस क्षेत्र में नगर परिषद की स्वयं की योजना तैयार कर भूखण्डों का आवंटन/विक्रय किया जा सकता है ताकि परिषद की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके। विभागीय आदेश दिनांक 1.07.22 के अनुसार बसी हुई कॉलोनियां/बस्तियां यदि कच्ची बस्ती, अकृषि भूमि धारा 69–ए की श्रेणी, नजूल भूमि नहीं है और बस्तियां दिनांक 31.12.13 तक सृर्जित (पूर्ण/आंशिक) हो चुकी है तो विभागीय आदेश दिनांक 01.07.22 के अनुसार नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।

2. कच्ची बस्तियों के संबंधित आदेश दिनांक 04.08.21 के अनुसार ऐसी कच्ची बस्तियों जिनमें आधारभूत सुविधाऐं पूर्ण हो चुकी है एवं कच्ची बस्ती की परिभाषा से बहार होने योग्य है उन कच्ची बस्ती को अनाधिसूचित किया जा सकता है ऐसी अनाधिसूचित बस्तियों के पास बसी हुई बस्तियां यदि कच्ची बस्ती एवं अकृषि भूमि धारा 69–ए की श्रेणी की बस्तियां एवं नजूल भूमि नहीं है और दिनांक 31.12.13 तक सृजित हो चुकी है तो उक्त आदेश दिनांक 01.07.22 के बिन्दु संख्या 2 (ii) के अनुसार 30 फुट चौड़ी सडक रखते हुए नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।

3. आदेश दिनांक 01.07.22 का बिन्दु 3 (ii) स्पष्ट है कि बसी हुई कॉलोनियों में 50 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण अर्थात् जिस क्षेत्र का/ कॉलोनी का नियमन किया जाना है

उस कॉलोनी/क्षेत्र में स्थित कुल भूखण्डों में से 50 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण है तो स्थानीय स्तर पर नियमन किया जा सकता है।

4. आदेश दिनांक 29.06.22 कच्ची बस्तियों के संबंध में है जिसका स्पष्टीकरण दिनांक 03.08.22 को किया गया है जिसके अनुसार 110 वर्ग गज से अधिक 200 वर्ग गज तक अतिरिक्त 90 वर्ग गज भूमि सम्मिलित करते हुए पूर्व पट्टे को समर्पण करवाकर अतिरिक्त भूमि की राशि आरक्षित दर या डीएलसी दर जो भी कम हो का 10 प्रतिशत से लेकर नया कच्ची बस्ती का पट्टा 200 वर्ग गज तक दिया जा सकता है।

आदेश दिनांक 28.07.22 का बिन्दु संख्या 'ब' से अनाधिसूचित कच्ची बस्ती कच्ची बस्ती की परिभाषा से बाहर हो जाने से कच्ची बस्ती नहीं रही है जिसमें आदेश दिनांक 01.07.22 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। आदेश दिनांक 01.07.2022 के बिन्दु संख्या 8 में स्पष्ट किया गया है कि कच्ची बस्ती, अकृषि भूमि धारा 69–ए की श्रेणी एवं नजूल भूमियों पर आदेश दिनांक 01.07.22 लागू नहीं होगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/2023/2568-2812 दिनांक : 17.04.2023

प्रतिलिपिः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महो., स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरीय निकाय, राज.।
04. सयुंक्त निदेशक, IT Cell, निदेशालय को विभागीय Website पर अपलोड़ करने हेतु।
05. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
स्वायत्त शासन विभाग